

नगरपालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की बैठक दिनांक 31-7-2001 में
उपस्थित मान्य सम्भास्यद ।

1. श्री दिनेश टण्डन	अध्यक्ष
2. श्री डा.जी. भा.फ.जाल फहमद	पदेन सदस्य / नगर विधायक
3. श्री लक्ष्मण सोनकर	सदस्य
4. श्री अनिल कुमार सोनकर	"
5. श्री सुधान्त सिंह	"
6. श्री संजय कुमार मौर्य	"
7. श्री राधवेन्द सिंह	"
8. श्री मनोज कुमार सोनकर	"
9. श्री संतोष कुमार शर्मा	"
10. कु. माधुरी गुप्ता	"
11. श्री विवेक उर्फ निवेन	"
12. श्री अनवरत हक	"
13. श्री गुलाबचन्द	"
14. श्री शाहिद मेहदी	"
15. श्रीमती सीविता निपाही	"
16. श्री जितेन्द्र कुमार चौरासिया	"
17. डा. रामसूरत मौर्य	"
18. श्री वकील फहमद मंझरी	"
19. श्री मेहदी रजा	"
20. श्री मनीष खेड़ी	"
21. श्रीमती शमशाद	"
22. श्रीमती शकुन्तला देवी	"
23. श्रीमती साधना केलवानी	"
24. श्री मो. हसीन	"

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
आध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, जौनपुर
31-7-2001

(दिनेश टण्डन)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, जौनपुर
31-7-2001

नगरपालिका परिषद (बोर्ड) जौनपुर की दिनांक 31-7-2001 को
आयोजित बैठक में सम्पन्न कार्यवाही की कार्य-वृत्ति।

नगरपालिका परिषद, जौनपुर के 26 निर्वाचित सदस्यों में से
मान्य 22 पार्षद एवं एक नगर विधायक/पदेन सदस्य उपस्थित हुए, जो
बैठक की पार्षद की उपस्थिति पंजीका में प्राप्त किये गये उनके
हस्ताक्षर से प्रमाणित है।

बैठक आरम्भ करते से पूर्व नगरपालिका परिषद/सभा अध्यक्ष
श्री दिनेश ठण्डन ने कहा कि आज की बोर्ड की इस बैठक में
उपस्थित मान्य नगर विधायक श्री राजी अफजल अहमद, मान्य सभासद मई-
बहनौ एवं नगरपालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों का मैं स्वागत एवं
अभिनन्दन करता हूँ। साथ ही इस पालिका में आये नये आयुक्त श्री
अधिकारी श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य अभियन्ता श्री राजेश
कुमार चतुर्वेदी का परिचय देते हुए उनका स्वागत करता हूँ। बोर्ड की
कार्यवाही आरम्भ करते हेतु मैं आयुक्त श्री अधिकारी को निर्देश देता हूँ।
इस पर आयुक्त श्री अधिकारी ने मान्य अध्यक्ष की अनुमति से बोर्ड
की कार्यवाही आरम्भ करते हेतु पालिका कार्यालय प्रवीण/स्टेन
श्री श्रीमोहन यादव को निर्देशित किया।

प्रस्ताव

- 1- बोर्ड की पिछली बैठक दिनांक
11-6-2001 की कार्यवाही करते
हूँ।

निर्णय

प्रस्ताव सं०। पिछली कार्यवाही वास्तविक
हेतु पढ़ी गयी। श्री वकील अहमद मजरी
मान्य सभासद ने कहा कि यह बैठक रक्षा
बन्धन के पूर्व की जा रही है। मैं सदन में
बैठ सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ।
मान्य उन्हीने पिछली कार्यवाही के प्रस्ताव
सं० 4 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए

कहा कि जो दुकानों के विवरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव कामाया जाए उसपर चर्चा
हुयी और कई सभासद सहित श्री मंगेश खेरी ने उस समय एक प्रश्न किया
था कि इन्दिरा मार्केट में विगोदर दुकानों की सूची दी जाय, इसपर क
अधीक्षक ने सदन को सूची प्राप्त करने का अनुरोध किया था, किन्तु ऐसी
कोई सूची सभासद को नहीं दी गई। तथा पूर्व में मैं भी एक प्रश्न किया
था कि कुल कितने भवनों का फ्लोअटमेंट किया गया है, इसकी भी सूचना दी
जाय किन्तु अभी तक सूची नहीं दी गई। इसपर इसका स्पष्टीकरण का अधिकार
दें। हो सकता था कि सूची उपलब्ध कराने जाय पर उन्हीने पहले नहीं

एक निर्णय लिया जाता, जिसकी उपाय की जा रही है। इस पर वर दम्पती श्री रामेश्वर दयाल ने कहा कि कुल 28,600 भवन कुल है और कुछ भवन ऐसे हैं जिसे भवन मालिक द्वारा स्वामित्व का प्रमाण न देने की वजह से अलग नहीं हो पाये हैं। तथा कुल दुबले हैं जो मा. उच्च न्यायालय में लगे हैं। पुनः कहा कि इन्टर मॉर्क की उद्भूति विवादित है।

इस पर अधिवक्ता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मा. समाज श्री वकील कृष्ण मंडरी साहब की भावनाओं का मैं समझ रहा हूँ। नगरपालिका के सम्बन्धित अधिवक्ता ने बोर्ड द्वारा लिखे गये निर्णय का अंगुल नहीं किया, जबकि उन्हें समय से सूचना उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए था। इसके लिए मैं वेद प्रकाश केसा हूँ, मजिस्ट्रेट में इसकी पुनरावेष्टि नहीं होगी। मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूँ कि एक सप्ताह में सूची उपलब्ध करा दी जायेगी, और ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई कर्ता।

अगले श्री वकील कृष्ण मंडरी मा. समाज ने कहा कि प्रस्ताव सं. 5 गालों की सफाई के सम्बन्ध में जनरल मजिस्ट्रेट श्री इवे ने इस सदन में पूर्व बैठक में अज्ञात बताया था कि बिलासपुर के लेबर काले की तरफ के लिए कार्य था, लेकिन के शरीर-व्याप्त के कारण चले गये हैं। किन्तु उन्हें जल से जल बुलवाकर गाला सफाई करा दी जायेगी। जे.डी. श्री इवे स्पष्ट करें कि क्या के लेबर आ गये हैं, और कब-कब सफाई होगी नहीं करायी गयी है, तथा अब तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ है। इस पर मा. अध्यक्ष की अध्यक्षता से श्री इवे जनरल मजिस्ट्रेट ने कहा कि अब तक रु. 2,80,000/- इस कार्य पर व्यय हुआ है, और लेबर जल से जल बुलवाकर डोस गालों की सफाई करा दी जायेगी। इस पर मा. समाज श्री मंडरी ने पुनः कहा कि आपने आश्चर्य किया था कि एक महीने में सभी लेबर आ जायेंगे और सभी गालों पर लगाकर सफाई करा दी जायेगी। पुनः श्री मंडरी ने कहा कि ऐसे कितने गाले हैं, जिसकी सफाई अब तक हो चुकी है बताया जाय। श्री इवे जे.डी. ने कहा कि कई गाले हैं, जिसका निबन्ध बताते लगे कि इसी बीच श्री मंडरी जी ने कहा कि इसका डिटेल बताकर दिया जाय।

श्री मेहदी रजा मा. समाज ने कहा कि चर्चा के विषय में मैंने कहा था कि रा-वाटर पम्पिंग की जाली टूट गई है तथा स्टीर (र) खाली कराकर वहाँ के कर्मचारी को दिये जायें व प्रकाश व्यवस्था के लिए मैंने कहा था किन्तु अभी तक कुछ कार्य नहीं हुए, ऐसा क्यों? इस पर जनरल मजिस्ट्रेट ने अज्ञात कारण कि स्टीर हल में सामान रखा है, उसे खाली नहीं किया जा सका है। कोल्ड पानी में डूबा है इसलिए नदी का पानी टूटने पर व्यवस्था करा दी जायेगी। अगले श्री मंडरी से श्री मा. समाज ने कहा कि अगर मैं ऐसे मुद्दों को भी हूँ, जहाँ स्टीर लार नहीं है, उसे देखना लिया जाय तथा नोटिस

में पोल नं 6 से आगे स्टीट लाइट नहीं है वहाँ पर कुम्भ मेल से आगे हुए रात लागवा दिए जायें। इस पर श्री रामपदाय मौज प्रकाश लिफ्ट, ने कहा कि वहाँ पर एक पोल जाम होना बाकी है वह जाम तो जाफगा तो लाइट लागवा दिया जायेगा, इसकी मांग अध्याक्ष जी वार स्वीडिङ दे दी गयी है।

मांग नगर विधायक/पदेन सदस्य श्री हाजी अफजाल अहमद ने कहा कि मैंने अभी कुछ बातें बुना। हमारे विधान सभा में सारे डाटे दिए जा रहे हैं, इसलिए इतना जरा मगों लिया जाय कि लीडिंग लाइट को आई है, वह कहाँ-कहाँ लगी है। मांग नगर विधायक ने पद भी कहा कि मैं एक दिन मा. अध्याक्ष जी के आवाज़ की ओर से जा रहा था तो देखा कि उस रोड की स्टीट लाइट बन्द है, तब मुझे संतोष हुआ कि जब हमारे अध्याक्ष जी के रोड पर अंधेरा है तो मेरे रोड पर अंधेरा है तो ठीक है, लेकिन पद अच्छी बात नहीं है।

इस प्रकार से प्रस्ताव सं. 1 सर्व-सम्मति से पारित की गई।

(2) विभिन्न समीतिओं के
समापतिओं का चुनाव।

प्रस्ताव सं. 2 पढ़ा गया/सदन में उपस्थित सभी मांग समारोह ने आपस में विचार विमर्श के उपरान्त पद तथा पाया कि समापतिओं का चुनाव बाद में हो जायेगा।

3- प्रौद्योगिकी दुकानों के मासिक
किराया वसूल करने सम्बन्धी
पूर्व गार्डर कोमेटी की रिपोर्ट
सदन के लक्ष्य सूचनार्थ एवं
विचारार्थ।

प्रस्ताव सं. 3 पढ़ा गया/इस पर मांग समारोह श्री मेहदी रज़ा ने कहा कि जैसा कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पूर्व बैठक में एक कोमेटी गार्डर दुप्री थी और कोमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, किन्तु कोमेटी के सदस्य कुछ बजह से तथा समय अभाव के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाये हैं, इसमें कुछ वैधानिक राय लेकर ही रिपोर्ट दी जायेगी, इसलिए इसके लिए कम से कम दो माह का समय दिया जाय/इस पर मांग अध्याक्ष ने दो माह का समय और दिया।

4- रिवायिग फंड से सम्बन्धित
प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ
एवं विचारार्थ।

प्रस्ताव सं. 4 पढ़ा गया/श्री संजय मौज मांग समारोह ने कहा कि मांग अध्याक्ष ने घोषणा किया था कि 75, 75 हजार

हमने निर्माण कार्य ठेक सभी समझू के इले में दिये जायेंगे, तो क्या जिलाधिकारी के पास जो प्लान ग्राई है, उसमें अब तक क्या हुआ बताया जाय। इस पर मां अध्यक्ष जी ने कहा कि परसें मीटिंग में मैंने इस सम्बन्ध में बात जिलाधिकारी से किया था तो उन्होंने कहा कि फुल्लर (डुकडे में) कलक धनराशि हर इले में नहीं दी जायगी, बल्कि विकास के लिए एक अरु पैसे देंगे। हमजा चिन्तरी, चान्चकपुर रोड का जिलाधिकारी महोदय पास कर रहे हैं। इस पर मां समझू श्री संतोष आर्य एवं श्री मनोज कुमार सेनका ने कहा कि जो शालादेश इस सम्बन्ध में जो मांचा है, उसमें क्या गारंटी लाइन है, उसे पक्का सड़क का बताया जाय। इस पर आचार्य महोदय श्री इवे ने रेवास्किंग फंड का शालादेश पक्का सड़क का अकाउंट बताया कि यह सड़क के गली निर्माण के लिए शालादेश है।

आगे श्री मनोज कुमार मां समझू ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि हम विकास करेंगे। उन्हें मान एक ही सड़क दिखी देखें, पूरा नाल नहीं। इस पर श्री मनीष सेठी मां समझू ने कहा कि मां अध्यक्ष जी इस सम्बन्ध में भेजे गए उस प्रस्ताव का गिहर कर उन 75, 75 हजार रुपये हर समझू के इले में निर्माण कार्य के लिए प्रस्ताव करके भेजा जाय। श्रीमती सिकिरी निवासी मां समझू ने कहा कि मां अध्यक्ष जी जो 75 हजार रुपये का स्टीमेंट आपके मांग था, तो भेज कहना है कि जो स्टीमेंट है, उसे पाए किमा जाय, न कि कोई इसका कार्य।

आगे कुं माचुरी गुहा, मां समझू ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय का अकाउंट कर दिया जाय कि हमारे समझू एक मर के हैं, कि सभी समझू के इले के लिए 75, 75 हजार रुपये का जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसे पाए किमा जाय।

आगे मां नगर विधायक श्री हानी अकबर महोदय ने कहा कि मैंने अभी प्रवीन्सल विकास निधि से 6.00 लाख रुपये चान्चकपुर रोड निर्माण के लिए दिया है। समझू ने भी दिया है। इस प्रकार से कितने लोग एकही सड़क के लिए दान देंगे। इसके लिए मां अध्यक्ष जी अपने हर से जिलाधिकारी जाकर का इच्छा करें।

श्री वमिल महोदय मंडूरी, मां समझू ने कहा कि इस प्रस्ताव में डिटेल् नहीं दिया गया है। किन्तु शालादेश की जो गारंटी लाइन है, उसकी फोटो कापी सभी समझू का मिलनी चाहिए। इसी बात तो यह है कि अभी भेरे गई मां नगर विधायक ने जैसा कहा है कि आपके हवा हमजा चिन्तरी रोड के लिए पैसा देना चाहते हैं और आपने यह भी कहा कि आपके चान्चकपुर रोड के लिए पैसा दिया है, इसलिए इस बात से जिलाधिकारी महोदय का अकाउंट करण जाय। मैं चाहूंगा कि जो मां नगर विधायक ने चान्चकपुर रोड के लिए

पैसा देने हैं उसी तरह से मेरा निर्देश है कि हमजा चिश्ती रोड के लिए भी पैसा देने की कोशिश कर दें। हमजा चिश्ती रोड का स्टीमेंट कितने का है उसे जॉर्डो बता दें। इस पर जॉर्डो बोले न कहा कि 10.20 लाख का स्टीमेंट है। इस पर मां नाल विद्यापक ने कहा कि 56.00 लाख विद्यापक निर्धि में अवरोध है जो अभी भोजना है। अगर 56.00 लाख आ जायेगा तो समझ लीजिये कि 10.00 लाख दे दिया जायेगा। इस पर पोलिका भाँववाली आँवकारी ने कहा कि मां विद्यापक जी का मैं स्वागत करता हूँ और कहेंगे कि नाल की सड़कों एवं नालियों की स्थिति को देखते हुए जो उनके पास फण्ड हो उसे इस पोलिका के लिए दे दें तो निश्चित तौर पर नाल में एक अच्छा कार्य हो सकेगा। इसके लिए भाँववाली आँवकारी ने 10.00 लाख के फलाना 25.00 लाख और देने के लिए मां नाल विद्यापक जी अनुरोध किया। इस पर मां नाल विद्यापक ने कहा कि 9.00 लाख कार्यवाही लेख्या के लिए मैं देने के लिए आश्वासन दे रहा हूँ, इसमें से 10.00 लाख आवश्यक होगा। इस पर भाँववाली आँवकारी ने पुनः अनुरोध किया कि जहाँ तक हो सके किसी भी निर्धि से हो उसे दिया जाय। इस पर मां नाल विद्यापक ने पुनः कहा कि निश्चित तौर पर मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन यदि व्यवस्था बनी तो 25.00 लाख भी दे सकते हैं।

5 पोलिका लेखा निमाणीम आव्या बाबत तत्कालीन भाँववाली आँवकारी श्री सतीशचन्द्र मिश्र के कार्य-काल के दौरान पोलिका कार्य हेतु वाद-व्यप के ह्य में पोलिका के लिफिक श्री रामजी उपाध्याय एवं श्री इशान्द हुसैन एवं श्री हार्तम टेलन द्वारा पोलिका ले लिफे गये एडवान्स धनराशि कुल रु 73,700/- का समायोजन न होना एक गम्भीर विचिप दु ह्यपयोग संबन्धी प्रकरण सदन के समक्ष विचारार्थ।

प्रस्ताव सं 5 पढ़ा गया। इस पर मां समासद श्री मनोज कुमार लोन्कर ने कहा कि क्या अन्य कोई कार्यवाही ऐसा है, जिसके पछाँ एडवान्स का बकाया है, उसे भी बताया जाय। चर्चा को आगे बढ़ते हुए श्री मेहरी रण्जा मां समासद ने कहा कि जहाँ तक समायोजन की बात है, उसके लिए क्या नोटिस दी गयी है, वाद व्यप की बात क्यों? सभी प्रकार के एडवान्स की बात अभी चर्चाए। अब तक कितने लोगों ने एडवान्स लिया है, उसकी सूची सदन में प्रस्तुत की जाय। पोलिका लेखा के द्वारा सदन में एडवान्स रजिस्टर लाना, पदक सदन को अनुरोध कराया, किन्तु

सम्बन्धित लिफाफे श्री आशीष कुमार के कवकाश पर रहने के कारण हिंसात प्रर्ण रूप से व्यव नहीं कर सके।

श्री वकील महेश मंशरी मा. समासद ने कहा कि हमारे समासद आई + बहुत ही गम्भीर प्रश्न उठाया है, यह प्रस्ताव कैसे भाया? जो प्रस्ताव इस मामले में अपनाई जानी चाहिए वह प्रस्ताव अपनाई गई है। अभी तक यह नहीं बताया गया कि किस-किस कर्मचारी के नाम से पत्रार्थ एडवांस है। इन लोगों को व्यक्तिगत तौर पर सूचना दी गयी है कि नहीं। बाद व्यप. जो किया गया वह धारा 120(क) के तहत निर्देशक से स्वीकृति ली गई है। रजिस्ट्रार एवं निर्देशक से स्वीकृत प्राप्त किया जाय। हम लोग एक अच्छे माहौल में नगर विकास हो इसके देखते हुए बाद व्यप एवं एडवांस रजिस्ट्रार को तुरन्त सदन में भर्गवाने का कष्ट करें।

श्री अर्पिता श्री अर्पिका ने कहा कि शासन जो बाद के लिए कार्यवाही हेतु निर्देश देती है, इसके लिए वह स्वीकृत देती है, किन्तु जो लोकल बाद में स्वयं होता है, उसके लिए अध्यक्ष/श्री अर्पिका श्री अर्पिका स्वीकृत देता है। फार्म श्री मंगल कुमार मा. समासद ने कहा कि क्या यह प्रस्ताव लक्ष्य विभाग द्वारा लाया गया है? लेखाकार ने बताया कि नहीं लेखा विभाग से जितनी रिपोर्ट मांगी गयी थी उसे लेखा विभाग ने दिया है। एडवांस रजिस्ट्रार लेखाकार ने सदन में प्रस्तुत कर कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम से निकले एडवांस की जानकारी सदन को दी।

श्री अर्पिता श्री अर्पिका ने कहा कि एडवांस के समायोजन के लिए कुछ कर्मचारियों ने दिया है, लेकिन उसका समायोजन नहीं हुआ। हमारा यह कहना है कि यह मामला यहीं स्थगित कर दिया जाय। अगली बैठक में इस मामले को प्राथमिकता पर रखा जायेगा। इस विषय को लेखाकार को देख लेना चाहिए था और उस पर बात कर लेना चाहिए था। हमें जहाँ तक पूर्ण विश्वास है कि इसमें 90% लोगो ने अपना समायोजन करा लिया होगा। हाँ सकता है कि जिन लोगो के नाम लिखा गया है वे लोग भी समायोजन के लिए वाउचर भर्ग दे दिई गये होंगे। इस पर मा. समासद श्री संजय शर्मा ने कहा कि बैठक के पहले एजेंडा के साथ सूची संलग्न करके दिया जाय।

- 6- प्रस्ताव बाबत जलकल विभागीय कार्यालय प्रस्ताव सं. 6 पढ़ा गया, जो जनहित दि. 10-7-2001 बाबत जनता को शुद्ध पेयजलाश्रति कर के देखते हुए सर्व-सम्मति से देह पानी को शुद्ध करने के लिए पु.मी.ट्रिकटन प्लानिंग स्वीकार किया गया। पाउडर रु. 1,06,882/- रु. 60 पैक तथा 60 मीट्रिक टन कल्ड्राफेन फेरिक ग्रेड-2 रूप कर के देह रु. 1,48,800/- के साथ कल्लोडिज फेरीरिक्ट व्यप को बर्ष के समस्त स्वीकृति।

7- जिलाधिकारी महोदय के कार्डर
के कम में स्लाइड हाउस बनाने
हवान सम्बन्धी निर्माण विभागीय
प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ।

प्रस्ताव संख्या 7 पढ़ा गया। श्री सज्जय गोपाल साहू
ने कहा कि यह प्रस्ताव जिलाधिकारी महोदय के
निर्देश पर जाया है, इसलिए जिलाधिकारी को
पता लाएंगे नगर से बाहर गांव की जमीन
लेकर उस पर स्लाइड हाउस बनवाया जाय।
इसलिए श्री वकील कहकर मंजूरी मांगे। सम्मेलन ने

कहा कि धारा 237 के अन्तर्गत जिलाधिकारी को यह अधिकार है कि वह बाधालय
को जहाँ-तहाँ में जहाँ चाहे बना सकते हैं, इस सदन इससे सहमत है। मैं जानता
हूँ कि क्या नगरपालिका के पास ऐसी कोई भूमि है, यदि है तो उसे बताना।
इससे मां अध्यक्ष की प्रश्नार्थ से श्री विजय शंकर राजस्व निरीक्षक ने बताया कि
ऐसी कोई भूमि पालिका के पास उपलब्ध नहीं है। इससे श्री वकील कहकर मंजूरी
मांगे। सम्मेलन ने दूसरी बात कहा कि मैं बाधालय के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि
पूर्व में बाधालय भुक्त 1.500 लिया जाता था और एक शाला द्वारा 20/- बाधालय
भुक्त लागत की बात कही गयी है, जबकि वहाँ पर बैठक की व्यवस्था नहीं थी।
इसकी व्यवस्था होने के बाद वे लोग 20/- भुक्त देने को तैयार हैं। 24-11-2000
की बैठक में स्वीकृत मिलने के बाद श्री शेषनाथ शर्मा तत्कालीन जे० ई० ने
वहाँ पर श्री फाहक ठीकदार से काम लगाया। चूँकि स्टीमेट नहीं बना था
24-6-2000 को जो बैठक हुयी थी, उसमें स्टीमेट बनाकर स्वीकृत हेतु लाया गया
उसके बाद अगली बैठक दिनांक 21-9-2000 में उसका प्रस्ताव आया। उस
समय परिशिष्टित ऐसी रही कि प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाया, लेकिन उस
ठीकदार जिसने काम किया उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ। वर्तमान समिति
ने अपनी प्रबल संयुक्ति करते श्री फाहक ठीकदार के भुगतान के सम्बन्ध में
लिया है, मैं सभी से चाहूँगा कि उसके स्वीकृत कर भुगतान की कार्यवाही
हेतु सहमत दें। इसी तरह से कोई इसका ठीकदार श्री खरपर हैं, जिन्होंने
दुर्गा पूजा में उस समय कार्य किया था, लेकिन उसकी पनावली नहीं है। मैं
यह कहना चाहूँगा कि जो भी ठीकदार ने कार्य किया है और पनावली
गायब है तो वर्तमान में जो जे० ई० है, उसे जाँच कर लिया जाय और
उन्हे भुगतान किया जाय। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पालिका के पास
भूमि नहीं है कि स्लाइड हाउस बन सके, इसलिए जिलाधिकारी चाहे तो
गांव में जो जमीन हो तो वहाँ जमीन दे दें तो वहाँ स्लाइड हाउस
बनवाया जाय।

इसपर मौखिकी जिलाधिकारी ने कहा कि जो बात मां सम्मेलन द्वारा उठाई
गई है उसकी पनावली यदि हो तो उसे रखा जावेगा। इस सम्बन्ध में जे० ई० से
बात करके कार्यवाही कर दी जाएगी। इससे श्रीमती सायना कसवाना मां सम्मेलन ने कहा
कि स्लाइड हाउस हवन के प्रस्ताव से मैं भी सहमत हूँ, यह वहाँ से हट जाय तो
बहुत अच्छा होगा। श्री मनोज कुमार मां सम्मेलन ने कहा कि स्लाइड हाउस हवन से
स्लाइड हाउस की बनाने व्यवस्था कर दिया जाय।

8- पालिका जीप संख्या सी-62-सी-1600 की मरम्मत स्टाफ मोटर एजेंसी, नडिंगल जीनपुर से जर्नल में कोई भी स्वीकृति की प्रत्याशा में करती गई, जिसपर हू 55,920/- लागू हुआ है, पोलिस के समक्ष सूचार्प एवं स्वीकृति हेतु।

प्रस्ताव सं 8 पढ़ा गया, जिसमें पालिका एवं जर्नल में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

9- मा. समाज श्री सजय कुमार झा का प्रस्ताव जिसपर नगर विधायक, विधान परिषद सदस्य सहित 23 मान्य समाज के हस्ताक्षर से प्रस्तुत पत्र बखत नगरपालिका इण्टर कॉलेज राजबाजार का नाम एवं अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य एवं सीताराम यादव के नाम से "सीताराम यादव नगरपालिका इण्टर कॉलेज" कर दिया जाय, समक्षी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निचार्प एवं स्वीकृति हेतु।

प्रस्ताव सं 9 पढ़ा गया, जिसमें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

10- शासन द्वारा जलमूल्य की निर्धारित दर हू 50/- जिसमें बोर्ड प्रस्ताव सं 6 दिनांक 27-3-2001 द्वारा हू 10/- प्रतिमांद्र प्रतिवर्ष निष्पादित किया गया था, पर शासन के आदेश दि. 14 जून 2001 द्वारा प्रतिषेध लगाया जाय विधायक प्रस्ताव परिषद के समक्ष सूचार्प।

प्रस्ताव सं 10 पढ़ा गया, इसपर मा. समाज श्री गेंहरीराम ने कहा कि क्या मा. उच्च न्यायालय के आदेश से 10/- के हिसाब से वसूली चालू है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि बोर्ड ने जो 10/- के हिसाब से वाटर चार्ज की वसूली पाह किया था, जिसमें शासन ने प्रतिषेध लगा दिया था, मा. उच्च न्यायालय ने शासन के ~~निर्देश~~ प्रतिषेध आदेश ~~किया~~ ^{हट} कर दिया तो क्यों न 10/- के हिसाब से

आज से ही वसूली शुरू किया जाय। क्योंकि मा. उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए इसका अनुपालन हो। लेकिन सदस्य की जहाँ तक बात है वह बाद में लौट रहे लेकिन मा. उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन आज से ही किया जाय। अध्यक्ष श्री कर्पूरी ने कहा कि मा. उच्च न्यायालय के आदेश तहत कार्यवाही की जायेगी किन्तु विधिक परामर्श आवश्यक है। इसलिए विधिक परामर्श लेकर आज ही तदनुसार कार्यवाही का दी जायेगी। उन्होंने ~~अध्यक्ष~~ का अनुरोध कराया कि शासन ने बोर्ड को सुझाव करके हेतु वाटर चार्ज के बारे में निर्देश दिया है, किन्तु इस समय लगभग 12,000 वाटर कनेक्शन हैं। वाटर चार्ज का छूट वाटर टैक्स में मिलता है। ऐसी स्थिति में 1/2 इंच पाइप कनेक्शन पर वाटर चार्ज 10/- लेने का

निर्णय तो हो गया है, किन्तु जो गान्धीजीदेवक भाई व्यवसायिक कर्मचारी हैं
उनसे क्या लिया जाय। जो कार्टर कर्मचारी हैं उनसे 10/- लिया जाय।
भाई श्री मेहदीराम मां लालदेव ने कहा कि अभी हम यह पाहेंगे कि
कोमाक्षिपल पर अभी कार्टर चार्ज न लिया जाय, इसे भगत जी ठक ने
लिया जाय।

अगरे श्री वकील अहमद गंधर्वी, मां सभासद ने कहा कि मां अध्यक्ष जी अभी बात चल रही है। शाहनादश के अहमद बाद ~~में~~ चाप के रेट पर जो पास हुआ है। अभी आयोजना की आयोजना ने बताया कि 12500 बाद कर्मचार है। तो मैं चाहता था कि बित्तों गंगा बहस है। अगर देखा जाय तो कुल भवन का 25% भी पानी कर्मचार नहीं है। मैं सदन की जानकारी में लोग चाहता हूँ कि मां में जो आवश्यक व्यवस्थाएँ नागरिक सुविधा के लिए हैं, वह बर्ड के सीमित साधन से ऐसी गैलियाँ, मुहल्ले हैं जहाँ पानी भी नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति को हम एक बूँद पानी नहीं दे पा रहे हैं तो हम कैसे उनसे वाटर चार्ज के लिए कहें। मां के मुख्य मार्गे रहित गैलियाँ में भी छाह-छाह गड्डे खोदकर लोग पानी ले रहे हैं, इसलिए हम सभी ने सर्व-सम्पत्ति से प्रस्ताव पारित किया है कि 10/- के हिसाब से वसूली किया जाय, और हमारे अध्यक्ष जी जनता की इस हैसियत को देखते हुए 25 घंटे में इस लागू कर के निर्देश दिया। इसके जनता में मां अध्यक्ष जी की क्षति अच्छी की है। पता नहीं किस कारण शाह न मां अध्यक्ष जी को इस विषय में कारण बतायी नोटिस दिया। मैं शाह के इस प्रस्ताव की ~~अवस्था~~ सदन की गौर से ^{बसत} कर रहा हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने शाह के प्रतिषेध सम्बन्धी भाई के विरुद्ध मां उच्च न्यायालय में रिट पार्चिका दापर की और मां उच्च न्यायालय ने उसमें स्टे कर दिया और सदन ने जो 10/- की दर से वसूली पास किया था, उसे ही माना गया है। इसलिए मां उच्च न्यायालय के आदेश का अकारण पालन करते हुए सदन की गैरियों को समझते हुए मैं मां अध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वह घोषणा करें कि 10/- प्रति कर्मचार प्रति माह के हिसाब से कल से वसूली कारण की जाय। मां अध्यक्ष ने निरुत्कोच होकर सदन की मांगों को निर्णय को देवते हुए निर्देश/घोषणा किया कि कल से 10/- के हिसाब से जलशुल्क की वसूली की जाय।

11- अन्य विषय मा० अध्यक्ष की अनुमति से:—

- (1) मा० अध्यक्ष ने कहा कि दिनांक 29-5-2001 को हुयी बीर्ड की बैठक में तत्कालीन आयुषशास्त्री आयुषकारी श्री सतीशचन्द्र मिश्र के निरुद्ध

सर्वसम्मति से पारित निम्न प्रस्ताव को शासन द्वारा प्रतिक्रिया कर दिया गया है, जिसे सदन में पड़ा गया।

इस पर श्री मनोज कुमार मा. समाजद. के सहित श्री वनील महमूद मंसूरी श्री राजेंद्र जी. सहित सदन में उपस्थित सभी समाजद. ने इस बोर्ड की गति का हलक बताते हुए कहा कि जैसा कि एक प्रस्ताव शासन ने बार-बार वल्ली के विषय में प्रतिबंध कर दिया था और मा. उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने पर मा. न्यायालय द्वारा उसे गिरस्त कर दिया गया उसी तरह शासन के इस प्रस्ताव प्रतिबंध निर्देश के बोरे में भी मा. उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने हेतु मा. मध्यम जी. को पूरा सदन एकमत होकर अव्यक्त करता है। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

(2) श्रीमती सूरता सोनकर मा. समाजद. द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पड़ा गया, जो निम्न है:-

1- कालीकुची (शास्त्री नगर) गैर देवी मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग की सड़क और नाली निर्माण।

2- रुहड़ा से लेकर जो रोड सपना आवास फेक्ट्री से गैर देवी मंदिर पवित्र धाम लिंक मार्ग की सड़क और नाली निर्माण।

3- पड़ोसी जिला से अपने नगर में प्रवेश स्थल पर स्वागत द्वार का निर्माण।

(2) श्री वनील महमूद मंसूरी, मा. समाजद. द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पड़ा गया, जो निम्न है:-

1- मा. अध्यक्ष एवं मा. समाजद. को मानदपत्र देने हेतु प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

2- पालिका सीमान्तगत जिन मकानों का कर निर्धारण नहीं हुआ है यदि उनके कब्जाधारियों द्वारा कर निर्धारण हेतु आवेदन किया जाय तो करीयता के आधार पर शीघ्र कर निर्धारण किया जाय, इससे बोर्ड की भाष में हलक होगी।

3- उपमहानगरों के द्वारा लिये गये अर्द्धक करवसूली को एक भागफल चलाकर इसके एक पुरुष व्यक्ती जमा कराकर करवसूली को वसूल कराया जाय, जिससे बोर्ड की भाष में हलक होगी।

4- पानडीवा रोड, गजमरी, मुप्लीया हलक, बजगा मुवा, तादतला, कोजपान रोड, स्लावर हाउस से कानवेन्ट स्कूल तक की रोड की दशा काफ़ी खराब है, इसे इन सड़कों का आगहन तय करवाकर शीघ्र निर्माण कराया जाय।

(3) श्री राजेंद्र कुमार जी. मा. समाजद. द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव को सदन में पड़ा गया, जो निम्न है:-

1- लखौमन कोपलप से खालपुर पुलिया तक सड़क सुधार।

2- खालपुर में पूर्व अध्यक्ष के घर से भगवानदास के घर तक सड़क सुधार।

3- खालपुर पुलिया से शीमा कालेज तक सड़क व डालिंग निर्माण।

उपरोक्त तीनों मा. समाज के अग्रणी प्रतिनिधित्व प्रस्ताव को सदन में पढ़े जाने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि निर्माण समन्वय समिति के लिए शासन से दान उपलब्ध होने पर अग्रणी कार्य कराये जायेंगे।
अगले श्री मनोज कुमार मा. समाज ने कहा कि नाल में लोगों द्वारा पाइप लाइन को काटकर पानी लिया जा रहा है और नल खुल रहे हैं पानी का अपव्यव होता है। इस पर सके लगाना आवश्यक है। इसके लिए कार्यवाही करनी, पत्रकल प्रेषण को मा. अध्यक्ष जी निर्देश दें कि वे इसकी जांच कराकर ऐसे व्यक्तियों को गोप्य दें। इस पर मा. अध्यक्ष ने कहा कि यह अच्छा प्रस्ताव है। इसलिए इसका अकुंश लगाना ज़रूरी आवश्यक है, इसलिए मा. अध्यक्ष ने निर्देश दिया।

अगले श्री वकील महाराज मंडरी, मा. समाज ने कहा कि नाल में लगाना 40% वैध करमंशन होना और 60% अवैध करमंशन होना। मैं चाहूँगा कि एक योजना तय करके योजना के अंतर्गत एक प्रश्न पैसा लगाकर वह अवैध करमंशन को लीगल कर दिया जाए। इसके लिए एक निर्धारित दरगारों तय कर लिये जायें। इसके लिए आयोग भी चलाना चाहिए, जो दरगारों लगा करते हैं, उनका करमंशन वैध कर दिया जाए और जो नहीं लगा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

अगले श्री मनोज कुमार मा. समाज ने कहा कि पिछली बार ऐसे कार्य हुए हूँ 500/- निर्धारित हुआ था। कार्यवाही करनी ने कहा कि यह बहुत कम दरगारों हैं। वैध करमंशन करने के लिए कम से कम 500/- निर्धारित होना चाहिए। इस पर मा. समाज ने कहा कि पहले 500/- फिर बाद में कहा कि ठीक है हूँ 500/- दरगारों निर्धारित किया जाता है, जो सर्वसम्मति से 500/- अवैध करमंशन को वैध करने के लिए दरगारों लगा कराना स्वीकार किया गया। अगले श्री मनोज कुमार मा. समाज ने कहा कि इसके लिए समन्वय पत्र के माध्यम से तथ्य लाउडस्पीकर से इसे नाल में प्रचार करा दिया जाए कि वे 15 दिन के अंदर आवेदन पत्र देकर अपने अवैध करमंशन को वैध कर लें, अन्यथा आयोग चलकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

श्री हितेश कुमार आर्य, मा. समाज ने मा. अध्यक्ष जी को एक पत्रक देकर अवगत किया कि जो शासनद्वारा आता है, उसकी जानकारी मा. समाज को नहीं हो पाती है, उसे भी समाज को ही जाए। इस पर कार्यवाही करनी ने बोर्ड को अवगत करवाया कि यह प्रश्न है कि शासन से जो शासनद्वारा आता है उसे सदन की बैठक में रखकर अवगत कराया जाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति पूर्व में रही होती तो ऐसी बात नहीं होती। शासनद्वारा भी काफी उपलब्धता को व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगली बैठक में जो भी आवश्यकता पड़ेगी, उसे सदन में पढ़कर सुना दिया जायेगा। अगले श्री आर्य मा. समाज ने

कहा कि समाज के इंसानों में बचा-बचा कार्य उन तक हुए हैं, और बचा-बचा कार्य हो रहे हैं, उसके बाद को अन्त कर दिया जाय / इस पर आयोग की ओर से कहा कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि अधिक में फिर समाज के इंसानों में जो भी कार्य हो, कार्य ही समाज के बारे में मैं उस लिखित लेख ही मा. अध्यक्ष के आदेश के तहत पूरी फाइल तैयार करके ही सुनान में आये।

श्री मेहरीराज मा. समाज ने कहा कि दिल्ली में बैंक में गल्ली मार्केट में टेंडर की बात हुयी थी, टेंडर हुआ और मन्त्री जाय हुयी, लेकिन वहाँ पर गल्ली मार्केट को कोई सुविधा नहीं दी गयी। अगर यह बात लिखी जा रही है तो कम से कम वहाँ पर टेंडर एक हफ्ते में लगा दिया जाय, जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया / उन्होंने यह भी कहा कि जल्दी 200 से अब तक कितनी नामाङ्कन की पत्रावली में बनी है, उसमें से अब तक कितने का निस्तारण हो गया है, कितने में आपत्ति लगी है, वह देख लिया जाय तथा जितने में नामाङ्कन का फाईल हुआ है, एंभार वीन बर्दाई गई है, उसका बैकस जब तक जाय न हो जाय, तब तक नाम न चढ़े तथा जो शेष पत्रावली में है, उसका भी शीघ्र निस्तारण हो जाय। उन्होंने आगे यह भी कहा कि कबल बोर्ड में यह बात उठी कि नगरपालिका की कुल कितनी दुकानें हैं, यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है और यह भी बताया जाय कि किल सन् से उसका एग्जिगेन्ट हुआ था। मैं एक पत्रावली देली कि सन् 1970 में एक एग्जिगेन्ट है, उसमें धारा-7 में नगरपालिका जब चाहे किराया बढ़ सकती है, तो कम से कम हम किराया तो उस धारा के तहत बढ़ सकते हैं, जिले के बोर्ड को आशय होगी।

इस पर आयोग की ओर से कहा कि शासनादेश सम्भवतः 1992-93 में आया है, उसमें 12% वृद्धि कर दिया जाय / अगली बैंक में यह देखकर कि शासनादेश का अनुपालन हुआ है कि नहीं, बताया जायेगा / जो दुकानें पुनः एलाट कोरे, उसके सम्बन्ध में अगली बैंक में सूचना देंगे। जहाँ तक एग्जिगेन्ट का प्रश्न है उसे पत्रावली देखकर अगली बैंक में सूचना दिया जायेगा।

आगे श्री वकील अहमद मेहरी मा. समाज ने कहा कि मैं चर्चा के दौरान यह कहना स्वीकारूंगा कि नगरपालिका सीमा में कितने मकान फ्लैट हुए हैं, कुछ मकान घूरे हुये हैं, हर पॉल में फ्लैट होना चाहिए, लेकिन सन् 83 से फ्लैट फ्लैट नहीं हुए हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि पूर्व में फ्लैट फ्लैट हुआ था और कुछ बोर्डों की दुकानें कर फाइल हुआ था लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि जो मकान नगर में बन रहे हैं, उनके पार्किंग, सफाई, प्रकाश की जिम्मेदारी नगरपालिका की होती है, इसी के साथ-साथ कुछ सम्पत्तियाँ भी हैं। कुछ मकानों का फ्लैट कुछ कारणों से नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग फ्लैट कराना चाहते हैं, लेकिन उनका फ्लैट नहीं होता है। एक प्रकरण यह भी है कि एक व्यक्ति एप्लीकेशन दिया है और 10 वर्ष से मकान बनवा कर रह रहा है। मैं चाहूंगा कि उसे देखवा लिया जाय कि किलका

मकान है, किराया कबला है / अगर कोई विवाद न हो तो उसे बसेस कर दिया जाय और अगर विवाद हो तो उस शेर के मां समासद से उसकी प्रति करा लिया जाय / इसलिए मैं चाहूँ कि मेरे का गिरीश्वर कराकर श्री जॉन-पड़ताल के बाद उपरोक्तकार उन भवने का असेसमेंट कर दिया जाय इसके बाद को टेक्स से करदी आप होगी / इसपर अध्यक्षशी भौषिकारी ने कहा कि नगरपालिका टाईटिल डिमांड नहीं करती है, अगर वे अपने स्वामित्व का कोई कागज देते हैं तो उसको स्वामी के रूप में दर्ज करेंगे और यदि कागज नहीं देते हैं तो उसे उपभोक्ता में दर्ज किया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक महीने का समय दिया जाय जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया /

आगे श्री संजय कुमार शर्मा, मां समासद ने कहा कि आजकल लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए लाइट विभाग में कार्य की आवश्यकता को देखते हुए कम से कम 4 फादमी रख लिये जाय, जिससे नगर की प्रकाश व्यवस्था ठीक हो सके / इस पर अध्यक्षशी भौषिकारी ने सदन को बताया कि दैनिक वोल्ट पर आदमी रखने का आवेक नही है, लेकिन संविदा पर कुछ-कुछ समय के लिये आवश्यकतानुसार आदमी रखा जा सकता है, जैसे 20 दिन के लिए बीच में 5 दिन गैप करके अवधि महीने में कुछ गैप करके रखा जा सकता है / प्रकाश लिफ्ट ने बताया कि कम से कम 4 फादमी की आवश्यकता है / आवश्यकता को देखते हुए बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रकाश विभाग में 4 फादमी को संविदा पर रखने की स्वीकृति प्रदान की /

आगे श्रीमती सविता लिपाही, मां समासद ने कहा कि प्रकाश से सम्बन्धित मेरे शेर में कुछ समस्या है, जैसे बड़े हनुमान मंदिर के पास सोडियम लाइट अभी तक नहीं लगी है / कुछ गली में रात खराब है / इस पर प्रकाश लिफ्ट ने बताया कि उसे आज ही बनवा दिया गया है / उन्होंने आगे यह भी कहा कि मेरे शेर में सफाई के लिए स्वीपर की कमी है, जहाँ श्री इब को बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए, जिससे शेर की सफाई सम्पन्न नहीं है / इस पर जहाँ श्री इब को मां समासद से सम्पर्क करे हेतु मां अध्यक्ष ने निर्देश दिया /

आगे श्री माधुरी गुप्ता, मां समासद ने कहा कि हमारे वार्ड में 18 सफाई कर्मी हैं लेकिन सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है / उन्होंने यह भी कहा कि जल ही जीवन है लेकिन हरद्वार का टैंडर पम्प खराब है, वह अभी तक नहीं बना है, लोडिंग प्लेट के पास पानी की समस्या है, उसका भी निदान नहीं हुआ है / शेरपुरा में टैंडर पम्प खराब है, उसे बनवाया जाय / इसपर जलकल आयोग ने कहा कि खराब टैंडर पम्प में कुछ सामान लगाना है, जो स्टीर में नहीं है / सामान आ जाने पर लगाया दिया जाएगा / इस पर मां अध्यक्ष ने तीन दिन में टैंडर पम्प को ठीक करने का निर्देश दिया /

आगे श्रीमती शकुन्तला सिंह, मा. सभासद ने कहा कि ख्यालीगंवा में जल निकाली के लिए जो मड पम्प लगा है, वह प्रातः 7-बजे से 2-बजे दिन तक चलता है, उसके बाद नहीं ऐसा क्यों? इसके इस पर स्वास्थ्य लिफ्ट, श्री शीतला प्रसाद तिवारी ने बताया कि पम्प प्रीतादन ठपन्ते चलता है। मा. अध्यक्ष ने कहा कि नाए में जो मड पम्प चल रहे हैं, उसके ईंधन पर काफी खर्च हो रही है, जिससे 20 हजार से अधिक भी व्यय आ रहा है, ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए 20 हजार से अधिक होने वाले खर्च के व्यय को कोई स्वीकार करे तो जनहित में यह कार्य सुचारु रूप से हो सकता है। इसे सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया।

आगे श्री नवील अहमद मंजरी मा. सभासद ने कहा कि हम लोग भी युनिक मा. मिथामक, सांसद की तरह आये हैं, उसी तरह पंचायती राज की तरह हम आये हैं। नाए की जगह को सभासद से अपेक्षा करती है, इसलिए हर गली सड़क प्रकाश की व्यवस्था अच्छी चाहिए है। सरकार ने हमको कोई कार्यकाद नहीं दिया है। हम लोग यहाँ बैठकर प्रस्ताव पास करते हैं। जनता मुझसे प्रीतादन मिलती है। शासन से धन हमें नहीं मिलता है, जिससे जनता की अपेक्षाएं पूरा हो सके। ग्राम प्रखानों का एक संगठन पूरे प्रदेश में बनाया गया और सरकार पर भी दबाव पड़ा तो सरकार उन्हें मानदेय देने के लिए तैयार हुमी और ग्राम प्रधान को वित्तीय कार्यकार सरकार ने दिया है। मा. अध्यक्ष जी मैं आपका विश्रवास दिलाता हूँ कि इस प्रस्ताव को आप यदि शासन में प्रस्तुत करेंगे तो शासन कवश्य इस पर विचार करेगी। हमारे प्रदेश की अन्य नगरपालिकाओं के अध्यक्ष, सभासदों को बुलाकर एक मीटिंग करके प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए बड़े कार्यकाद तैयार करी है, हमी हम अध्यक्ष एवं मा. सभासदों को मानदेय मिल पायेगा, क्योंकि जनता के कार्यों के लिए हम टाइप करते हैं, रिक्शा पर खर्च करते हैं मा. अध्यक्ष जी गाड़ी में पेट्रोल खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभासदगण से चाहेंगे कि इस प्रस्ताव को पास किया जाय और शासन को भेज जाय जो सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

॥ मा. सभासदों के हस्ताक्षर से प्रस्तुत पत्रक सदन में पड़ा गया जिसमें पालिका में खुले झोरिपेन्टल बैंक जो निकट भविष्य में खाली होने की सम्भावना है, उसे खाली होने पर सभासद कक्ष के रूप में परिवर्तन कर दिया जाय। इस पर सदन में विचार विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि यदि इसमें कोई बैंक पुनः आ जाता है तो उसे दिया जाय और यदि इसका बैंक नहीं आता है तो उस कमरे को खाली करके सभासद कक्ष के रूप में दिया जाय।

अन्य प्रस्ताव में जलवाला अभियान की आख्या दिनांक 20-7-2001 सदन में पड़ा गया जिसमें लगनवावा नल्लू के 10 हासपोल का समासकुल पम्प लेट जो अनसर्विसेबल हो गया है, उसके ह्रास पर

नया 10 लाख पावर का पम्प सेट लगाने हेतु रु 24,200/- में डेप किफ
जाने हेतु अनुरोध कोर्ट द्वारा स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है। जगह
में पेपजलेशन हेतु इस प्रस्ताव पर सदन में निम्न निर्णय के उपरान्त
स्वीकृति से स्वीकार किया गया।

आगे श्री संतोषकुमार झा, भा. समाज ने कहा कि जो भी लोहार
अब तक कीत है, उसमें इरे नाल में लम्बाई, विजली घाती की सुगन्ध
व्यवस्था की गई है लेकिन सावन मांस से लाल लोहार गुरु से है
और आज लोहार है, हुमांग मोड़र के पास गेला लगा हुआ है, किसी
का ध्यान इस को नहीं गया और लम्बाई बना कोटि नहीं हुआ है,
कोई भी धार्मिक पर्व हो तो उसे विशेष रूप से देखा जाए।
इस पर श्री सीतल महाराज, लम्बाई निर्देशक ने बताया कि हुमांग व्याप
तथा मुख्य-मुख्य मोड़र के पास आज प्रातः लम्बाई कर दी गयी है।

अतः में श्रीमती लक्ष्मी कलानी भाव समाज ने कहा कि
मेरी 'सांस माँ' का देहाव हो गया है। उनकी मृत शालों की शान्ति के
लिए सदा दो मिनट मौन रखे जाएं अथवा कहें कि उनके
मौनोदश के दिन सभी लोग मेरे इलाक़ के कार्य इसी क्रम में श्री
मेहदीरजा भा. समाज ने एक प्रश्न उठाया कि अभी श्री मंजूरी माई
के बड़े पिता मो. हुलमान जो पालिका के सेवा निवृत्त कार्यवाही में,
उनका देहाव हो गया है, सूचना देते के बाद भी उनका शोक समा
नहीं हुआ जो खेद की बात है। भा. अध्यक्ष ने कहा कि इसकी
पालिका उन्हें नहीं दी गयी थी। इसलिए दोनों शोक उत्साह आज
ही अभी होगी और शोक समा हुआ है पिछले दो मिनट मौन रखकर
मृतक कालांको को शान्ति प्रदान हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी।

अतः में भा. अध्यक्ष ने कहा कि आज की यह बैठक कई
अच्छे माहौल में सम्पन्न होगी, इसके लिए मैं सभी को धार्मिक
चान्दबाद देता हूँ और बैठक समाप्ति की घोषणा करता हूँ।

मुझे
(मनाज कुमार (श्रीवास्तव)
आधिकारी अधिकारी
ना. पालिका परिषद, जौनपुर
31/7/2021

दिनेश ठाकुर
(दिनेश ठाकुर)
अध्यक्ष
ना. पालिका परिषद, जौनपुर
31/7/2021